


**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

**प्रपत्र- 17 A**

**वापसी अधिसूचना**

सं०-15/डी०एल०ए०-पटना(रा०उ०प०) .....रा/० पटना दिनांक -18-12-13  
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण के लिए ग्राम-समसारा,  
थाना नं०-63, राजस्व थाना-मनेर, जिला-पटना में राजस्व विभागीय अधिसूचना सं०-448/रा० दिनांक  
28.03.11 एवं अधिघोषणा सं०-554/रा० दिनांक 01.04.11 से अधिसूचित एवं अधिघोषित कुल  
रकवा-12.6325 एकड़ में से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा दिनांक 09.06.12  
को दिये गये संशोधित अधियाचना के अनुसार सेसरा संख्या-76 अंश, 77 पूर्ण, 78 अंश, 81 अंश, 82  
अंश एवं 100 अंश रकवा-1.38 एकड़ भूमि को तकनीकी दृष्टिकोण से अनुपयोगी होने के कारण  
भू-अर्जन अधिनियम-1894 संशोधित अधिनियम-1984 की धारा-48(1) के तहत भू-अर्जन से वापस  
लिया जाता है। अवशेष 11.2525 एकड़ भूमि जो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना  
को दखल-कब्जा दिया गया है, यथावत रहेगा।

इसे सार्वजनिक की जानकारी के लिये दो दैनिक समाचार पत्रों में एवं जिला गजट के अगले  
असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

  
समाहर्ता,  
पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

६०

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक सं०- 2976/र०

दिनांक: -18-12-13

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रभारी उष समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि:- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अर सचिव।  
18/12/13